शैक्षिक स्त्री विमर्श
तब और अब

निर्मला सिंह*

वर्तमान परिदृश्य में स्त्री विमर्श पर अनेक चर्चाएँ चल रही हैं, किंतु स्त्री की शिक्षा-दीक्षा अध्ययन भी होना चाहिए। इसी संदर्भ में प्रमाणिक तथ्यों, साक्ष्यों और संदर्भों को आधार बनाते हुए शैक्षिक स्त्री विमर्श पर यह लेख लिखा गया है। समाज में महिला कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी नारी के रूप में, कभी प्रेयसी के रूप में और कभी माँ के रूप में साहित्य में वर्णित है। इस लेख में महिला-पुरुष साक्षरता दर, लिंगानुपात, बालिका के पोषण की चुनौतियाँ, शिक्षा की स्थिति, महिला शिक्षा के संबंध में चुनौतियाँ तथा महिलाओं के विधिक अधिकारों की स्थिति एवं तत्पश्चात् महिला शिक्षा को सामाजिक धरातल पर प्रतिबिंबित किया गया है।

"नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरु"

अर्थात् इस दुनिया में विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है। परिवार में बच्चे के जन्म के उपरांत सबसे पहली गुरु उसकी माँ ही होती है। वह अपने स्नेहपूर्ण स्पर्श, ममतामयी आँचल की छाँव में उसके व्यक्तित्व को निखारती है। सभी बच्चों के लिए उसका प्रारंभिक शैशवकाल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चे का सर्वाधिक मानसिक विकास प्रारंभ के वर्षों में होता है। ऐसे समय में बच्चे को शिक्षित और सबल माँ की स्नेहपूर्ण ममता व देखभाल मिलने पर पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के रूप में जीवनपर्यंत एक सफल जीवन व्यतीत करता है और समाज को सकारात्मक योगदान दे सकता है।

माँ की महिमा का बखान हमारे वेद, पुराण, दर्शनशास्त्र, स्मृतियों, महाकाव्य, उपनिषदों आदि में दिया गया है। दरअसल 'माँ' के प्रति पैदा होने वाली अनुभूतियों को शब्दों में बयाँ करना मुश्किल है अर्थात् हमारे समाज के निर्माण में माँ के रूप में महिला की ज़िम्मेदारी अति महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ माँ के ममतामयी व्यक्तित्व का मूर्तिमंत दर्शन कराती हैं —

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

हमारे देश को आज़ाद हुए 70 दशक हो गए हैं, परंतु महिलाओं के प्रति नज़रिया पूरी तरह नहीं बदला। अभी भी उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है और वह विकास हेतु समान अधिकार और अवसरों

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर* (होम साइंस), ज्वालादेवी विद्या मंदिर, पी.जी. कॉलेज, कानपुर (उत्तर प्रदेश) 208012

Chapter 9.indd 86 11/8/2018 12:10:30 PM

के लिए संघर्षरत हैं। हालाँकि, समाज में महिलाओं की यह स्थिति सदैव से ऐसी नहीं थी। मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री को प्रभावी रूप से उसके व्यापक परिवार का समर्थन प्राप्त रहता था। पारिवारिक संपत्ति मातृक्रम में आगे बढ़ती थी। धीरे-धीरे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण महिलाएँ सीमित होती गईं। एक ऐसा भी ज़माना था जब महिलाओं को पढ़ना-लिखना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, परंतु सभी युगों में महिलाओं ने अपनी वीरता विद्वता का लोहा मनवाया। उन्होंने रणभूमि का क्षेत्र हो या लेखन का क्षेत्र, जहाँ और भी अवसर मिला, उन्होंने साबित कर दिया कि वह पुरुषों से कम नहीं हैं।

आज़ादी के बाद भारत के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिलाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं को समान अधिकार, अनुच्छेद 15 (1) में भेदभाव नहीं करने का अधिकार, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 39 (घ) समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 51 (ए) (ई) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है।

संविधान तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी व पिछड़ी मानसिकता के कारण बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को अशिक्षा, शोषण, हिंसा, कुपोषण व लिंग भेद का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद भी महिलाओं की साक्षरता दर में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, उस गति से नहीं हुई।

सारणी 1 — भारत में 1951 – 2011 तक महिला-पुरुष साक्षरता दर

वर्ष	महिला	पुरुष	योग
1951	8.86	27.16	18.33
1961	15.36	40.40	28.30
1971	21.97	45.96	34.45
1981	29.76	56.38	43.57
1991	39.29	64.13	52.21
2001	63.67	75.26	68.83
2011	65.46	82.14	74.04

सारणी 1 में दिए गए आँकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सदियों पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों का प्रचलन देश के अधिकांश भागों में अभी तक मौजूद है। यदि महिलाओं की स्थिति में और सुधार हुआ होता तो हमारा देश और अधिक प्रगति पर होता। इस संबंध में गाँधीजी का यह कथन बहुत ही प्रासांगिक है। वह कहते थे कि, 'विकास की धारा से यदि महिलाओं को नहीं जोड़ा गया तो विकास की परिकल्पना कभी साकार नहीं होगी।' यह एक बड़ी विडंबना है कि विकास की धारा से जोड़ना तो दूर की बात है, बालिका को उत्तरजीविता का अधिकार भी देश के कई हिस्सों में नहीं है। समाज के अधिकांश भागों में लिंग की जाँच कर, कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, इससे महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में गिरावट के संकेत मिलते हैं। जनगणना 2011 में 0 – 6 आयु-वर्ग में लिंग अनुपात में बड़े

स्तर पर गिरावट आई है जिसमें 1000 बालकों की तुलना में 918 बालिकाओं का आँकड़ा दर्ज हुआ है, जो गंभीर चिंता की बात है। फिर भी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 राज्यों में (सी.एस.आर.) बाल लिंग अनुपात का स्तर 2011 के राष्ट्रीय औसत (1000 बालकों की तुलना में 918 बालिकाएँ) से कम है। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम 927 और हरियाणा में न्यूनतम 834 है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रत्येक 1000 बालकों की तुलना में 900 से कम बालिकाओं की संख्या दर्ज की गई है।

वर्तमान चुनौतियाँ

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे लिंग भेद के फलस्वरूप कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें समझना होगा, उसके प्रति जागरूक और संवेदनशील होना होगा और इन परिस्थितियों को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि भारत में असमान लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? दरअसल जन्म के समय लिंग अनुपात का अर्थ एक दी गई समयावधि में जन्म के समय बालक और बालिका का अनुपात है। भारत में बालिका जन्म अनुपात इसलिए कम है, क्योंकि उनको बोझ समझा जाता है और जन्म से पूर्व ही उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी निम्नवत हैं—

1. समाज में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है और बालिकाओं को सुरक्षित रखना एक बड़ी ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाता है।
2. दहेज़ आदि के कारण बालिका को कम महत्व दिया जाता है।
3. जेंडर आधारित पक्षपातपूर्ण लिंग चयन।
4. बालिकाओं की ठीक से देखभाल न होने के कारण कम आयु में मृत्यु दर अधिक होना।
5. बालिका शिशु-हत्या, वंश चलाना, वृद्धावस्था में सुरक्षा।

यही कारण है कि हमारे समाज में पिछले पाँच दशकों में बाल लिंग अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज हुई है।

सारणी 2 — वर्षानुसार लिंगानुपात

वर्ष	प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएँ
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	918

यह तो स्पष्ट ही है कि समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। भारत में शिशु-मृत्यु दर भी अत्यधिक है। सारणी 3 से भारत में बालक के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।

सारणी 3 — बाल मृत्यु दर की स्थिति (आँकड़े प्रतिशत में)

क्रमांक	सूचक	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	शिशु-मृत्यु दर	40	44	27
2.	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु	49	55	29
3.	बाल मृत्यु दर	11	12.3	6.4
4.	नवजात पश्चात् मृत्यु दर	12	13	12
5.	पैदाइशी कम वज़न	22		
6.	नवजात मृत्यु दर	28	31	15

वर्तमान में हमारा समाज पोषण और सामाजिक-आर्थिक संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है। अल्प पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा है, जिसकी सर्वाधिक शिकार महिलाएँ और बच्चे हैं। कुपोषण से न सिर्फ़ शैक्षणिक उपलब्धि प्रभावित होती है, बल्कि बाल कुपोषण से आर्थिक उत्पादकता पर सीधा असर होता है। किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के पोषण की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें बच्चे को जन्म देना होता है। हमारे देश में महिलाओं और किशोरियों के कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है।

शिक्षा की स्थिति

शिक्षा के बिना विकास की बात करना किसी भी समाज के लिए बेईमानी है। ऊपर से लड़कियों को शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है। जो लड़कियाँ स्कूल जाती भी हैं, उनमें से कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते-पहुँचते अधिकतम लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। बालिकाओं के स्कूल छोड़ने के कई कारण चिह्नित किए गए हैं, जैसे —

- पढ़ाई में रुचि न लेना;
- घर के काम की ज़िम्मेदारी;
- छोटे बहन-भाई की देखभाल;
- लिंग भेद;
- गरीबी;
- प्रवास करना;
- स्कूल दूर होना;
- स्कूल में असुरक्षा की भावना;
- कम उम्र में विवाह;
- सांस्कृतिक और धार्मिक कारण।

यह तो स्पष्ट है कि यदि महिलाओं के प्रति हो रहे लिंगभेद का उन्मूलन कर, उन्हें शिक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए कारगर उपाय अपनाए जाएँ तो हम एक स्वस्थ समाज बनाने की तरफ़ अग्रसर हो सकते हैं। सरकार इन क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत भी है। सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्थान के लिए सराहनीय कदम भी उठाए जा रहे हैं। उनके पक्ष में कानून और योजनाएँ बन रही हैं, जिसके अनुपालन पर सरकार की पैनी नज़र रहती है। मुख्य रूप से महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए निम्नवत योजनाएँ संचालित हैं —

1. **लिंग चयन का प्रतिषेध अधिनियम —1994**
(गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक) वर्ष 2003 में यथा संशोधित

सारणी 4 — पोषण की चुनौतियों संबंधी कुछ तथ्य

महिलाएँ	किशोरियाँ
एनीमिया (15 – 49 वर्ष) 56.2 प्रतिशत	एनीमिया 56 प्रतिशत
18.5 से कम बी.एम.आई. (चिरकालिक ऊर्जा की कमी) 36 प्रतिशत	18.5 से कम बी.एम.आई. 47 प्रतिशत
महिलाओं की आयु के साथ कुपोषण में गिरावट और अधिक पोषण में वृद्धि होती है।	18 वर्ष से कम उम्र में 58 प्रतिशत महिलाओं का विवाह हो गया और 30 प्रतिशत ने प्रथम बच्चे को जन्म दिया।

- यह कानून गर्भाधान से पहले और बाद में, दोनों समय पर लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है।
- इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

2. बाल विवाह निषेध अधिनियम — 2006

इसमें 21 साल से कम उम्र के लड़कों व 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिक माना गया है और इस प्रकार के लड़कों एवं लड़कियों के विवाह को रद्द किया जा सकता है।

3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम — 1961 (संशोधित अधिनियम — 1986)

यह अधिनियम दहेज लेने व देने पर प्रतिबंध लगाता है। दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें कम-से-कम पाँच साल का कारावास के साथ कम-से-कम ₹ 15000.00 का जुर्माना होगा। धारा 498 (ए) के अनुसार यदि महिला को दहेज के लिए उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें तीन वर्ष तक कारावास और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम — 2005

घरेलू हिंसा अधिनियम — 2005 में बनाया गया और 26 अक्तूबर, 2006 से इसे लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं के साथ घर के अंदर होने वाली हिंसा, शोषण व उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं

1. बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने एवं उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी सबला योजना की शुरुआत 1 अप्रैल, 2011 को की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11–18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल की जाती है।
3. माताओं की बेहतर देखभाल के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना संचालित है।
4. वर्ष 2004 से प्रदेश/देश की शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें पिछड़े व कमज़ोर वर्ग की बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ़्त एल.पी.जी. गैस कनैक्शन मिलने का प्रावधान है।

महिलाओं और बालिकाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ और कानून हैं, लेकिन इस समस्या को भेदना इतना आसान नहीं है। आजकल

नियमित समाचार-पत्रों और टेलीविजन चैनल पर महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा, शोषण, अपराध, बलात्कार की सूचनाएँ दिल को अंदर से हिला देती हैं। कहीं कूड़े के ढेर पर मासूम मिलती है तो कहीं चलती ट्रेन से पिता अपनी ही बेटियों को फेंक देता है। यह तो बड़े-बड़े अपराध हैं जो मीडिया के माध्यम से सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसी वंचना और यातना जो महिला या लड़की अपने घर में, गली में, सड़क पर, बाहर, ससुराल में नित्यप्रति झेलती है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इस प्रकार की दूषित मानसिकता का उपचार सिर्फ़ योजना बनाने या कानून बनाने से नहीं होगा। हर स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। लोगों के दिमाग को जागरूक करना होगा। मानसिकता और नज़रिया बदलना होगा।

जब हम बार-बार कहते हैं कि गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए बराबर और मज़बूत होंगे फिर हमें इसी अवधारणा पर कायम रहते हुए आगे के लिए प्रयास भी करना चाहिए। बदलाव की बातचीत में महिला, पुरुष, नौजवान सभी को सम्मिलित करना चाहिए, लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस तरह के मुद्दों पर सभाएँ और चर्चाएँ जन-सामान्य स्तर पर प्रचलन में नहीं हैं। पंचायतों की बैठक के एजेंडा में लिंग-भेद और बालिका सशक्तिकरण नहीं है और न ही किसी राजनीतिक बैठक में। हाँ, कभी कोई बड़ी निर्मम घटना घट जाए तो कुछ पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी वर्ग और महिला संगठन कुछ दिन सड़क पर उतर कर आक्रोश प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर उत्साह ठंडा... फिर कुछ लड़कियाँ कूड़े के ढेर में मिलती हैं और फिर समाचार-पत्र की हेडलाइन बनती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? किस स्तर पर प्रयास और तेज़ करने चाहिए, यह चिंतन का बिंदु है।

शिक्षा की गुणवत्ता के साथ ही नैतिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रारंभिक स्तर पर यदि बच्चे के मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाए और उसे संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किया जाए, साथ ही हिंसा से क्या नुकसान होता है, इस संबंध में जागरूक किया जाए तो वह बच्चा आगे चलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। बचपन में बच्चे के साथ होने वाला व्यवहार आजीवन उसके साथ रहता है। यदि किसी बच्चे के साथ बचपन में क्रूरता का व्यवहार किया जाए तो उसका व्यवहार भी दूसरों के प्रति उसी प्रकार का होगा। परिवार, समाज और विद्यालय तीनों यदि बचपन से ही बच्चे के पालन-पोषण, उसके विकास एवं शिक्षा व उचित व्यवहार पर ध्यान दें तो शायद एक सुंदर समाज बनाने के लिए एक बड़ी पहल होगी। बचपन से ही लड़का-लड़की में भेद न करके उन्हें बराबर का मौके दें। दोनों के कामों में भेद न करके दोनों को घर और बाहर के सभी कार्य करने की आदत डालें, उन्हें उनके अधिकार के साथ ही कर्त्तव्यों का बोध कराएँ, उनके अंदर जीवन कौशल शिक्षा विकसित करें, उनको सपने देखने के लिए आज़ाद करें तभी तो वह स्वछंद विचारों के समुद्र में गोते लगाएँगे। लेकिन ऐसा तब होगा, जब हम सोच के दायरे को विस्तार देंगे। जब हम लड़का-लड़की और महिला-पुरुष की भूमिका को नये नज़रिए से देखेंगे। जब महिलाओं से मात्र खाना बनाने, चारा, लकड़ी व ईंधन एकत्रित करने वाली,

पानी लाने वाली, अपने पति व बच्चों की देखभाल की अपेक्षा करने के बजाय पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिला के रूप में देखेंगे। साथ ही इन मामलों में पुरुषों से भी बहुत-सी अपेक्षाएँ रहेंगी। यदि वह होटल में खाना बना सकते हैं तो घर के किचन में हाथ बटाने में शर्मिंदगी क्यों समझते हैं? उन्हें भी घर के सभी कामों में हाथ बटाना चाहिए और यह आदत बचपन से ही लड़कों में डालनी चाहिए।

- विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों में समतामूलक, अहिंसावादी विचारधारा के बीज रोपित किए जाएँ। इसके लिए सप्ताह में एक दिन चर्चा, परिचर्चा, नाटक, प्रोजेक्ट आदि कार्य किए जाएँ ताकि बच्चों की समझ विकसित हो सके व शिक्षा को वे अपने जीवन से जोड़कर देख सकें।
- समुदाय स्तर पर काउंसलर की व्यवस्था हो जो समस्याग्रस्त बच्चों की लगातार काउंसिलिंग करते हुए उनका प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार कर सके।
- पंचायत अपने क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ले और अराजक व्यक्तियों को चिह्नित कर ज़रूरी कार्यवाही करें।
- गाँव स्तर पर महिलाओं के सशक्त समूह बनाए जाएँ जो लड़के-लड़कियों में भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाएँ।
- ऐसे नौजवान युवक-युवतियों को सम्मानित किया जाए जो इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हों।
- पंचायत एवं नगरों में आधारभूत ढाँचे को जेंडर लेंस से देखते हुए ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुलभ हों।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ, शौचालय, परामर्श की व्यवस्था नि:शुल्क और निकट सुलभ होना चाहिए।
- पंचायतों और वार्डों में शिक्षा का हब बनाना चाहिए। जिसमें पुस्तकालय, समाचार-पत्र, चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगासन आदि से संबंधित गतिविधियाँ रोज़मर्रा का हिस्सा हों। इनके संचालन की ज़िम्मेदारी सेवानिवृत्त व्यक्तियों, नौजवानों, महिलाओं को दिया जा सकता है। इस हब में महिला-पुरुष बच्चे सभी इकट्ठा हों, आपस में बैठें, बातचीत करें और एक-दूसरे की ज़रूरत को समझें और सहयोग का वातावरण बने।
- इसी प्रकार बच्चों को सशक्त और आत्मरक्षा के लिए दक्ष बनाने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए।
- किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण व परामर्श मिलना चाहिए। जिससे वह अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सकें। माता-पिता, समुदाय और शिक्षण संस्थान सभी मिलकर किशोर-किशोरियों की बेहतरी के प्रयास करें और यह देखें कि बच्चे गलत राह पर तो नहीं भटक रहे हैं।
- बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए अधिक-से-अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने होंगे ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

- खेल-कूद को प्रोत्साहित करने के लिए सभी पंचायतों व वार्डों में खेल-कूद मैदान हों, खेल-कूद का सामान हो और बालिकाओं की इसमें बढ़-चढ़ कर भागीदारी हो। आदर्श स्थिति तो वह होगी जब माता-पिता, बालक-बालिका सभी खेलते नज़र आएँ। भेदभाव दूर करने के लिए यह एक खूबसूरत पहल हो सकती है।
- युवाओं को नशे की आदत से दूर करने के लिए अलग से प्रयास करने चाहिए। घर से दूर जाकर पढ़ने-लिखने वाले बच्चों में इस आदत का खतरा अधिक होता है। माता-पिता इतना ध्यान दें कि जब भी बच्चा बाहर से लौटकर आए उसकी काउंसिलिंग कराएँ, उससे दोस्ताना व्यवहार रखें और उसे यह एहसास न हो कि माता-पिता उस पर शक करते हैं।
- पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी और उनके स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे अपने बारे में सोचने और इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार है।
- ऐसे सुंदर और खुशहाल समाज की कल्पना एक बेहद खूबसूरत सपना है, जहाँ किसी की आँखों में आँसू न हो, कोई ऊँच-नीच का भेदभाव न हो, कोई किसी का हक न छीने, सबको समान अधिकार हो, मासूम की मासूमियत न छिने, कोख में कोई बेटी न मरे, बेटी के जन्मदिन पर खुशियाँ मनाएँ, सड़के, घर, समाज सब बेटियों के लिए सुरक्षित हो, हमारे आस-पास साफ़-सफ़ाई हरियाली और स्वच्छ हवा हो, हम आपस में एक-दूसरे के साथ बैठकर कुछ पल बिता सकें, चारों तरफ़ फूल खिले हों जिसमें भीनी-भीनी खुशबू हो, गौरैया हमारे आँगन में बैठकर गीत गाएँ... चलो इस सपने को रोज़ देखें, खूब देखें, सबको बताएँ, सबको सपने दिखाएँ ताकि एक दिन यह सपना हकीकत बन सके। दुष्यन्त कुमार की यह गज़ल परिवर्तन का जयघोष करती है —

हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

संदर्भ

पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस). पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.
www.wcd.nic.in की website पर उपलब्ध, प्रशिक्षकों हेतु मॉड्यूल (हिन्दी)